

क्रमांक 404 / सामान्य / 232 / 2010 / 5 800  
प्रति,

भोपाल दिनांक : 2-5-2011

समस्त मुख्य अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
मध्यप्रदेश।

विषय :- रोड फर्नीचर्स का कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन में प्रावधान करने एवं निविदा आमंत्रण के संबंध में।

\*\*\*\*\*

कतिपय प्रकरणों में यह पाया गया है कि कार्यों के लिए बनाये गये प्राक्कलनों में रोड फर्नीचर्स (ओवरहेड साइन बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, दिशा सूचक, रोड डेलीनेटर्स, वायर फेंसिंग, रोड मार्किंग, पेंटिंग, बाउण्ड पिलर, केश बेरियर, ट्रेफिककोन, ड्रम डेलीनेटर्स आदि) का प्रावधान नहीं किया जाता है तथा बाद में इन आयटम्स का क्रय कर लगाया जाता है। इससे वित्तीय अनुशासन भंग होता है तथा सड़क के रख-रखाव के लिए उपलब्ध राशि से क्रय करने के कारण सड़क का समुचित रख-रखाव नहीं हो पाता है।

कुछ प्रकरणों में यह भी पाया गया है कि इन आयटम्स का स्वीकृत प्राक्कलन में प्रावधान होने के उपरान्त भी मूल कार्य की निविदाओं में इन आयटम्स का सम्पादन नहीं कराकर इन आयटम्स का अलग से क्रय किया जाता है। इस तरह से स्वीकृत कार्य को टुकड़ों में विभक्त कर निविदा आमंत्रण करना उचित नहीं है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. कार्यों के विस्तृत प्राक्कलन में सभी आवश्यक रोड फर्नीचर्स का समावेश किया जाकर उनकी स्वीकृति प्राप्त की जाये। पृथक से कोई क्रय नहीं किया जाये।
2. रोड फर्नीचर्स के आयटम्स का भी मूल कार्य की निविदा के बी.ओ.क्यू. में ही समावेश किया जाये, ताकि इनके लिए पृथक से निविदा आमंत्रण करने की आवश्यकता ही नहीं रहे।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाये। उपरोक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होंगे।

- श्री लक्ष्मण कुमार  
प्रमुख अभियन्ता, 2157

लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)


21/05/11

पृ.क्र. 404 / सामान्य / 232 / 2010 / 5801

भोपाल दिनांक : 2-5-2011

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश।



प्रमुख अभियन्ता,  
लो.नि.वि. भोपाल (म.प्र.)